का॰ज्ञ॰सं॰ ई-11024/33/74-रा॰भा॰ (एकक), दिनांक 24 जून, 1974

विषय: हिंदी कर्मचारियों को अनुवाद पद्धति और तकनीक का प्रशिक्षण देना।

वित्त मंत्रालय आदि को मालूम ही है कि इस मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा केंद्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में नियुक्त हिंदी कर्मचारियों को अनुवाद पद्धति और तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए एक पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम की अवधि तीन महीने की है।

2. संयुक्त सचिवों की समन्वय समिति ने तारीख 12 मार्च, 1974 को हुई अपनी बैठक में इस प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में ये सिफारिशें की थीं—

(i) प्रशिक्षण की अवधि को ड्यूटी के रूप में माना जाए।

(ii) प्रशिक्षणार्थियों की जगह व्यक्तियों की पदोन्नति करने की व्यवस्था की जाए।

3. समिति की इन सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है और उन्हें मंजूर कर लिया है। पाठ्यक्रम के लिए भेजे जाने वाले व्यक्तियों के पदों को प्रशिक्षण की अवधि में इन शर्तों के अधीन भरा जा सकता है—

(क) अगर प्रशिक्षण की अवधि 45 दिन से कम है तो खाली जगहें नहीं भरी जानी चाहिए।

(ख) एवजी को सिर्फ तभी नियुक्त किया जा सकता है जब विभागाध्यक्ष या सक्षम प्राधिकारी को यह इत्मीनान हो कि ऐसी खाली जगहों पर एवजी की नियुक्ति हुए बिना काम या ड्यूटी नहीं बनाई जा सकती है।

4. यह वित्त मंत्रालय की 21 जून, 1974 की अ॰टि॰सं॰ 4882 ई-113ए/74 द्वारा सहमति से जारी किया जा रहा है।